



भारत सरकार / Government of India
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय / Directorate General of Mines Safety

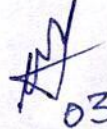


संख्या- प्रशा-1/आर.टी.आई(प्र.अ.अ.)/2025/ 9998 धनबाद, दिनांक : 03.06.2025

ज्ञापन

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 19 के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय के सभी कार्यालयों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनामित करने के संबंध में ।

इस महानिदेशालय के दिनांक 06.08.2021 के ज्ञापन संख्या-प्रशा-1/आर.टी.आई (प्र.अ.अ.)/2021/6527 को अधिक्रमित करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 19 के अंतर्गत श्री परमानन्द कुमार सिंह, खान सुरक्षा निदेशक (वि.का.), मुख्यालय, धनबाद (मोबाइल सं.- 9162476958 ईमेल -pk Singh@dgms.gov.in) को खान सुरक्षा महानिदेशालय के सभी कार्यालयों के लिए तत्काल प्रभाव से प्रथम अपीलीय अधिकारी पदनामित किया जाता है।


03/06/25
(उज्जवल ता)

खान सुरक्षा महानिदेशक